न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 86/2018

RCMS Case No. 2018/00436

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. ग्राम पंचायत बगडी नगर जरिये सरपंच 2. सत्यनारायण पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी बोहरों का बास, बगडी नगर (मृतक) (प्रतीकात्मक पक्षकार) 3. मनोज कुमार व्यास पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी बोहरों का बास, बगडी नगर 4. दिलीप कुमार पुत्र सोहनलाल पंचारिया जाति ब्राहम्ण निवासी रामदेवरा रोड़, बगड़ी नगर 5. युधिष्ठिर शर्मा पुत्र लादुशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी आर्युवेदिक हॉस्पिटल के पास, रोहिसवाल भवन, किर्तनियों का बास, बगडी नगर, 6. दीपक व्यास पुत्र परमानन्द जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी बोहरों का बास, बगड़ी नगर 7. मुकेश शर्मा पुत्र दिलीप कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मेघवालों का बास, बगडी नगर 8. भसनाराम पुत्र पिताराम जाति सीरवी निवासी बेरा नोकड़ा तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

श्री खीगाराम, सरकारी पैरोकार

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 3 से 8

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/06/2019

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 41/1983 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक 08.09.1985 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 15.09.1985 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बगडी नगर के गत खसरा नम्बर 2177 रकबा 19 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2180 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वां किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2176 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 तथा खसरा नम्बर 2181 रकबा 4 बिस्वा की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2029 के अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री भूसनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी सुभजी वल्द मुकनदास कौम साद सा0 देह पुराजी के नाम दर्ज थी, जो मन्दिर की खुदकाश्त भूमि हैं। गत खसरा नम्बर 2176, 2177 व 2180 के हाल खसरा नम्बर 2809 कायम हुए, जो राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 आबादी के रूप में दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 2181 की भूमि खसरा नम्बर 2809/5077 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इन भूमियों पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधि प्रक्रिया अपनाए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में प्रस्ताव लिए बिना ही 2328.05 वर्गगज भूमि का नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। चूंकि उक्त आराजी में राजकीय सिवायचक भूमि भी सम्मिलित है, जिसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल कायम की गई एवं न ही कोई नक्शा मौका तैयार किया गया। पंचायत नियमों में पट्टा जारी करने के जो विधिक प्रावधान वर्णित है, उन प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अब अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि को दो हिस्सों में अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया हैं तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 8 अब उक्त भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर बेचान हस्तान्तरण कर रहे है तथा भूमि की भौतिक प्रस्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा हैं। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बिना तथ्यों के आधार पर द्वेषतापूर्वक यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नहीं हैं। जिन पुराने खसरा नम्बरान् की भूमि को हाल खसरा नम्बर 2809 तथा 2809/5077 में समाहित होना बताया है, उनके सम्बन्ध में कोई रेकर्ड ही प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही ऐसा कोई रेकर्ड तहरीर भी हुआ है, जिससे प्रार्थी के कथनों की ताईद होती हो। मात्र संभावनाओं के आधार पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए जैर

अति० जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। मात्र ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं तथा न ही इसका दण्ड अप्रार्थीगण को भुगताया जा सकता हैं। जिस वक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया, तब उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज होकर पंचायत के खाते में दर्ज थी। जिस पर समस्त प्रकार की कार्यवाही करने का ग्राम पंचायत को विधिक अधिकार प्राप्त हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया हैं, जो विधि सम्मत हैं। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करने के लगभग 35 वर्ष पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने के कारण भी पोषणीय नहीं हैं। हालांकि अधिनियम की धारा 97 में मियाद के प्रावधान कठोर रूप से बाधित नहीं करते है, किन्तु जहां किसी कानून में मियाद के प्रावधान स्पष्टतया प्रावधित नहीं है, वहाँ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 137 लागू होती है, जिसमें परिसीमा काल 3 वर्ष का माना गया हैं। तद्नुसार भी निगरानी मियाद बाधित होने के कारण खारिज़ योग्य हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा है तथा उनके द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करवाया गया हैं। मात्र कयासी आधारों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे को अपास्त नहीं किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे निगरानी के क्षेत्राधिकार में अपास्त नहीं किया जा सकता हैं। इन समस्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि विरूद्ध होने तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (2) पेज 502, डी0एन0जे0 (राज.) 2008 (2) पेज 735 तथा आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का सम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बगडी नगर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ जो पट्टे की प्रति प्रस्तुत की है, उसके आधार पर प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से जारी किया गया हैं। चूंकि दस्तावेजात् के अभाव में इस तथ्य को समुचित रूप से परीक्षित नहीं किया जा सकता कि विधिक प्रक्रिया की पालना हुई अथवा नहीं ? प्रकरण में पंचायत की प्रक्रिया से परे यह तथ्य प्रकट होता है कि – "आया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की भूमि डोली एवं सरकारी भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं हो ? इन तथ्यों को प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में रेखांकित करते हुए यह जाहिर किया कि "जैर निगरानी विवादित आराजी ग्राम बगड़ी तहसील सोजत के गत खसरा नम्बर 2177 रकबा 19 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2180 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2176 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 तथा खसरा नम्बर 2181 रकबा 4 बिस्वा की भूमि थी, जो जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2029 के अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री भूसनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी सुभजी वल्द मुकनदास कौम साद सा0

अति० जिला कलक्टर, पाली

देह पुजारी के नाम दर्ज थी, जो मन्दिर की खुदकाश्त भूमि हैं। इन तथ्यों की पुष्टि राजस्व रेकर्ड के रूप में जमाबन्दी से होती हैं, किन्तु गत खसरा नम्बर 2176, 2177 व 2180 से हाल खसरा नम्बर 2809 कायम हुए हो, जो राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 आबादी के रूप में दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 2181 की भूमि खसरा नम्बर 2809/5077 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।" इन तथ्यों के सम्बन्ध में कोई रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया। जो राजस्व रेकर्ड अर्थात मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है, उसमें हाल खसरा नम्बर 2809 रकबा 34.0 हैक्टेयर की भूमि के गत खसरा नम्बर क्या थे, इसका इन्द्राज ही नहीं हैं। इस कारण दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि गत खसरा नम्बर 2176, 2177 व 2180 से हाल खसरा नम्बर 2809 कायम हुए हो। प्रार्थी का यह आक्षेप रहा कि जैर निगरानी विवादित आराजी सिवायचक एवं डोली की भूमि है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्यों से जो स्थिति स्पष्ट होती है, उसके अनुसार पट्टा जारी करने के वक्त उक्त भूमि गै0मु0 आबादी के रूप में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज थी। जहाँ तक ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा रजिस्टर्ड दस्तावेज है, इस सम्बन्ध में यह प्रश्न प्रकट होता है कि "आया रजिस्टर्ड दस्तावेजात् को निगरानी क्षेत्राधिकारिता के भीतर कलक्टर द्वारा निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं ?" यह विधिक बिन्दु है। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967 मनोहरलाल बनाम जिला कलक्टर बाड़मेर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Panchyati Raj Act, 1994-Sec. 97- Execution of sale deed- No explanation for not challenging the allotment for six years- Land was sold on 19.1.1999-Regd. sale deed could not have been set aside by the collector under revisional jurisdiction-Civil suit was the proper remedy-Question of facts involved-Held, Special appeal is dismissed." इससे यह स्पष्ट होता है कि निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अर्न्तगत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपास्त नहीं किया जा सकता हैं। अब जहाँ तक प्रश्न मियाद का आता है, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु मियाद के प्रावधान बाधित नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि डी0एन0जे0 (राज.) 2008 (2) पेज 735 अब्दुल लतीफ व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में पैरा संख्या 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ".....Now comes as to what the grievance of the petitioner in regard to issuance of patta, the counsel for the petitioner could not supply any reason other than the fact that in the garb of issuance of pattas, non-petitioner No.6 is trying to encroach upon the land of public way. If the grievance of the petitioner is regarding encroachment on the public way then the said issue could have been taken up but the petitioner's whole grievance is against the issuance of pattas, therefore, the petitioner could not show his locus even for maintaining revision petition that too when pattas were issued in the Year 1981 and revision petition was filed by the petitioner in the Year 2002 i.e after lapse of long 21 years without giving appropriate justification for delay more so when it has otherwise came on record that non-

अति० जिला कलक्टर, पाली

petitioner No.6 starting raising further construction on the disputed land in the Year 1998 and in that regard civil suit was also filed by others. Thus if the petitioner is so relevant and concerned about the land then he could have noticed raising of further construction by the non-petitioner No.6 so as to pursue his remedies, if any, but then petitioner could not justified his part of inaction apart from his interest and locus in the property. It is otherwise a fact that if one remains in peaceful possession for a period of more than 12 years then right to challenge such possession vanishes and goes away however in the present matter since the revision petition has been filed after lapse of 21 years, it becomes clear that even if it is assumed that there is no period of limitation provided for maintaining a revision petition under Section 97 of the Act of 1994 then delay of 21 years is such a delay which cannot be condoned unless there are convincing reasons." इसी प्रकार डी0एन0जे0 2012 (2) पेज 602 रमेशचन्द बनाम राम चरणसिंह व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Panchayat Act, 1994, Sections 61 and 97 - Filing revision petition belatedly after twenty years - Held that, the Section 97 confers power of revision and review on Govt. but does not prescribe a period of limitation yet the period within which the aggrieved party can invoke power under Section 97 of the Act, has to be reasonable - Impugned order by the revising authority remanding the matter to the Gram Panchayat was absolutely unwarranted - Writ petition allowed and quash and set aside the order dated 21.6.2005 passed by the Additional Collector." इसी प्रकार विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि निगरानी शक्तियां युक्तियुक्त समयावधि में उपयोग की जानी चाहिए। प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 15.09.1985 को पट्‌टा जारी हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा पट्‌टा जारी होने के 33 वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात् उक्त पट्‌टे को निरस्त कराने हेतु बिना किसी ठोस आधार के निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार मियाद बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं पाई जाती हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका बलहीन एवं मियाद के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज़ की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली